न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.	तारीख दायर	तारीख फैसला
183/2025	10/06/2025	02/01/2026

1. रामपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा आयु साल निवासी ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रमाशंकर शर्मा :– वकील वादी

दावा बाबत इन्द्राज दुरूस्त एवं घोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0एक्ट

–: निर्णयः–

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादी इस कथन के साथ पेश किया कि वादी कि खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 111, रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400 हैक्टेयर ग्राम छापर में स्थित हैं। जिसे आगे इस वादपत्र में वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया गया है। वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना थे जिनके नाम दर्ज खातेदारी भूमि नवीन खसरा नम्बर 111, 116, 114, 178, 179 साबिक खसरा नम्बर 59, 60, 171, 21, 115 ग्राम छापर के राजस्व रिकॉर्ड में जगन्नाथ पुत्र किशना दर्ज रिकॉर्ड खातेदार अंकित था जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। परन्तु वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 59, 60, 171, नामान्तकरण संख्या 21 181 115 का विरासत का खोलते समय राजख कर्मचारीयों ने मूलवश रामपाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर रामपाल पुत्र किशना अंकित कर दिया। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी में आज रामपाल पुत्र जगन्नाथ ही अंकित है जो सत्य एवं सही है। उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में अपने रिकॉर्डड हिस्से पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिसका वादी जगन्नाथ पुत्र किशना से प्राप्त विरासत के अनुसार खातेदार काश्त हो गया था परन्तु उक्त नामान्तकरण संख्या 181 में जगन्नाथ पुत्र किशमा का फौती नामाम्तकरण खोलते समय रामपाल पुत्र जगन्नाथ के स्थात पर रामपाल पुत्र किशना तस्दीक कर दिया गया जो कि गलत है वादी के पिता के स्थान पर दादा के नाम का अंकन कर दिया गया जो पूर्णतः विधि विरूद्ध एवं गैरकानूनी है। परन्तु वर्तमान जमाबन्दी राजख रिकॉर्ड में रामपाल पुत्र जगन्नाथ अंकित हैं जो पूर्णतः सत्य एवं सही हैं। जगन्नाथ पुत्र किशना का विधिक वारीस वादी का नाम विरासत का नामान्तरकण तस्दीक करते समय राजख कर्मचारीयों ने सहवन से रामपाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर रामपाल पुत्र किशना अंकित कर दिया गया विरासत का नामान्तकरण वाढ़ी के हक अधिकारों के खिलाफ आरम्भ से ही शुन्य प्रभावी है जिसका कोई विपरीत प्रभाव वादी के हक अधिकारों पर नहीं पड़ता है। वादग्रस्त भूमि पर पूर्व में जगन्नाथ पुत्र किशना का एवं उसकी मृत्यु के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त वादग्रस्त भूमि से अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई हक सम्बन्ध नहीं है। वादग्रस्त भूमि पर वादी जगन्नाथ पुत्र किशना कि मृत्यु के उपरान्त से काबिज काश्त करते चला आ रहा है। वादी कानून अपने विरासती हक के आधार पर वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो गया है। वादी उक्त भूमि पर हमेशा काश्त करते रहा है तथा कानूनन वही उसके वास्तविक खातेदार काश्तकार है। परन्तु उक्त वादग्रस्त भूमि के राजख रिकॉर्ड में वादी के सम्पूर्ण हिस्से का राजस्व कर्मचारीयों ने जगन्नाथ पुत्र किशना का विरासत का नामान्तकरण खालते समय रामपाल पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर रामपाल पुत्र किशना अंकित कर दिया परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में भी रामपाल पुत्र जगन्नाथ अंकित है। नामान्तकरण संख्या 181 में वादी का नाम रामपाल पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

जगन्नाथ बतौर खातेदार इन्द्राज नही होने का कोई विपरीत प्रभाव वादी के अधिकारों पर नहीं पड़ता है। वाद वादी बाबत् घोषणा खातेदारी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 111, रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400 हैक्टेयर ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ़ में वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना के विरासत में रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी 0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0/25/7917 दिनांक 19.09.25 को रिपोर्ट/जवाब न कर निवेदन किया कि ख.नं. 111, 116, 114, 178, 179 स्थित ग्राम छापर सलग्न मुताबिक माबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड है। वादी रामपाल के पिता का नाम जगन्नाथ है। वर्तमान दर्ज राजस्व केर्ड जमाबंदी में भी वादी का नाम रामपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकोर्ड है वादी के कथन व पहचान व मजमेआम में जमाबन्दी अनुसार सही है। परन्तु प्रार्थी के विरासती नामा. सं. 181 जगन्नाथ किशना की विरासत नामान्तकरण भरते समय सहवन से रामपाल पुत्र जगन्नाथ के बजाय ाल पुत्र किशना पिता की जगह दादा का नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। प्रार्थी सं. 181 में हुई त्रुटि/अशुद्धि को दुरूस्त करवाना चाहता है। नामा. 181 के कॉलम सं. 16 में री रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जगन्नाथ के फौत होने पर उनके पुत्र के नाम नामा. दर्ज किया गया। नामा. सं. 181 में सहवन से अशुद्धि रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ केया जाना उचित है।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट व अन्रू जात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम छापर, पटवार ासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0. खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100है0, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100है0, खसरा नम्बर 178 1800है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400है0 में वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना के नामा सं0 181 में रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ घोषित किया जस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। डिक्री जारी हों।

र्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल र नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

। मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2026 को खुले न्यायालय मे

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

जगन्नाथ बतौर खातेदार इन्द्राज नहीं होने का कोई विपरीत प्रभाव वादी के अधिकारों पर नहीं पड़ता है। वाद वादी बाबत् घोषणा खातेदारी विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 111, रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 178 रकबा 1. 1800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400 हैक्टेयर ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ़ में वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना के विरासत में रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ घोषित कर राजख रिकॉर्ड दूरुस्त किया जावे।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/भू0अ0/25/7917 दिनांक 19.09.25 को रिपोर्ट/जवाब पेश कर निवेदन किया कि खं.नं. 111, 116, 114, 178, 179 स्थित ग्राम छापर सलग्न मुताबिक जमाबंदी अनुसार दर्ज रिकोर्ड है। वादी रामपाल के पिता का नाम जगन्नाथ है। वर्तमान दर्ज राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी में भी वादी का नाम रामपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकोर्ड है वादी के कथन व पहचान पत्री व मजमेआम में जमाबन्दी अनुसार सही है। परन्तु प्रार्थी के विरासती नामा. सं. 181 जगन्नाथ पुत्र किशना की विरासत नामान्तकरण भरते समय सहवन से रामपाल पुत्र जगन्नाथ के बजाय रामपाल पुत्र किशना पिता की जगह दादा का नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। प्रार्थी नामा. सं. 181 में हुई त्रुटि/अशुद्धि को दुरूस्त करवाना चाहता है। नामा. 181 के कॉलम सं. 16 में पटवारी रिपोर्ट में स्पष्ट है कि जगन्नाथ के फौत होने पर उनके पुत्र के नाम नामा. दर्ज किया गया। अतः नामा. सं. 181 में सहवन से अशुद्धि रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ दर्ज किया जाना उचित है।

अतः वकील वादी व पैरोकार सरकार की बहस सुनने, पत्रावली में उपलब्ध रिपोर्ट व अन्रू दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम छापर, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0. 1000है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100है0, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1800है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400है0 में वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना के विरासती नामा सं0 181 में रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री जारी हों।

निर्णय की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो ।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 02.01.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

डिक्री मुकदमा इबताई

(ओ0 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

1. रामपाल पुत्र जगन्नाथ जाति मीणा आयु साल निवासी ग्राम छापर तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादी

बनाम

2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट

मु0 नं0 :- 183/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी श्री ललित मीना आर0 ए0 एस0 हाजिरी श्री रमाशंकर शर्मा एडवोकेट पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्तकारी अधि0 को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम छापर, पटवार हल्का बासना, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर के वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 111 रकबा 0.1000है0, खसरा नम्बर 116 रकबा 0.4100है0, खसरा नम्बर 114 रकबा 0.3100है0, खसरा नम्बर 178 रकबा 1.1800है0, खसरा नम्बर 179 रकबा 0.0400है0 में वादी के पिता जगन्नाथ पुत्र किशना के विरासती नामा सं0 181 में रामपाल पुत्र किशना के स्थान पर रामपाल पुत्र जगन्नाथ घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ को दिये जाते है।

डिक्री दिनांक 02.01.2026 को कार्यालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबतहजराय हुक्मनामा			बबतहजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

Scanned with OKEN Scanner